संख्या:98/2015/340/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:16 मार्च,2015

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या:68/35-4-2013 दिनांक 21 जनवरी,2013 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 04 कार्यों की लागत रू.3965.21 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू.1982.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या:485/35-4-2014 दिनांक 12 मार्च,2014, शासनादेश संख्या:726/35-4-2014 दिनांक 30 मई,2014 एवं शासनादेश संख्या:775/35-4-2014 दिनांक 17 जून,2014 द्वारा उक्त 04 कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 04 कार्यों में से निम्नलिखित 03 कार्यों की उनके सामने इंगित विवरण के अनुसार रू. 8893.54 लाख (अट्ठासी करोड़ तिरान्बे लाख चौव्वन हजार) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त की अवमुक्त धनराशि	अनुमोदित पुनरीक्षित लागत
1	मलिकपुर से तालग्राम तक मार्ग का चौड़ीकरण	1187.47	593.74	356.24	3315.70
2	रामाश्रम से जी.टी.रोड़ हिमालय कोल्ड के पास से सिलुआपुर होते हुये तालग्राम रोड का चौड़ीकरण	1147.80	573.90	344.34	2883.11
3	छिबरामऊ तालग्राम ताहपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण	962.02	481.01	481.01	2694.73
	योग	**3297.29**	**1648.65**	**1181.59**	**8893.54**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2013/ दिनांक 12 मार्च,2014/ दिनांक 30 मई,2014 तथा दिनांक 17 जून,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्यों की लागत को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त कार्यों हेतु पूर्व में (प्रथम/द्वितीय किश्त) अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग करते हुये नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति शासनादेशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध होने पर नियमानुसार अवशेष/देय धनराशि अवमुक्त करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

3- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-331/दस-2015 दिनांक 13 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:98/2015/340(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7-जिलाधिकारी, कन्नौज ।
8-मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://sirsanadesh.up.nic.in